## <u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003342014</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—189 / 14</u> <u>संस्थापित दिनांक—21.04.14</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01–राजेंद्र सिंह पुत्र बलदेव सिंह लोधी उम्र 40 साल
02—विक्रम सिंह पुत्र प्रीतम सिंह लोधी उम्र 26 साल
निवासीगण बढेरा।
आरोपीगण
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा :— श्री पठान अधिवक्ता।

# —ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 26.05.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 323, 294, 341, 34 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02- प्रकरण में आरोपीगण की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी कृष्णाबाई ने दिनांक 29.03.14 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को वह दोपहर 12.30 बजे अछरौनी से कक्षा 10 की परीक्षा देकर अपने घर मोहनपुर जा रही थी। मोहनपुर बस स्टेंड के पास रास्ता में उसके किया ससुर राजेंद्र मिले और उसका रास्ता रोककर मां—बहन की बुरी—बुरी गालियां देने लगे और बोले कि अदालत में जो केस चल रहा है उसमें राजीनामा कर लो, और फिर जब उसने राजीनामा न करने का कहा और अदालत के फैसले को मान्य होना कहा तो वे हाथ में कुछ लिए थे उससे मारा और जेट विक्रम ने धक्का दिया और दोनों ने मारपीट की। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध क्रमांक 139/14 के अंतर्गत भादवि की घारा 323, 294, 341, 34 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 341, 323 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया, आरोपीगण ने बचाव साक्ष्य देना व्यक्त किया।

### 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- 1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 29.03.2014 को समय 12.30 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत ग्राम मोहनपुर में बस स्टेंड पर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी कृष्णाबाई को मां—बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कृष्णाबाई को उस दिशा में जाने से रोककर जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी कृष्णाबाई की मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

### -:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 कृष्णाबाई, अ.सा. 02 चंद्रभान, अ.सा. 03 जयराम, अ.सा. 04 अब्दुल हमीद, अ.सा. 05 डॉ एस पी सिद्धार्थ की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है। आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य के रूप में ब.सा. 01 रामराज, ब.सा. 02 मलखान सिंह, ब.सा. 03 राजेंद्र सिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 कृष्णाबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अछरौनी से कक्षा 10वीं की परीक्षा देकर आ रही थी तब दोनों आरोपीगण उसे रास्ते में मिले और उसे रास्ते में रोककर राजीनामा करने का दबाव डाला तथा उसके साथ गाली—गलौच की। उक्त साक्षी के अनुसार दोनों आरोपीगण ने उसे डंडे से मारा था तथा मारपीट कर चले गए थे जिसकी रिपोर्ट प्रपी 01 उसने लेखबद्ध कराई थी। उक्त साक्षी की साक्ष्य अनुसमर्थन करते हुए अ.सा. 02 चंद्रभान ने अपने कथन में बताया है कि वह फरियादिया को जानता है तथा घटना दिनांक को आरोपीगण कृष्णाबाई की मारपीट कर रहे थे। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपीगण ने कृष्णाबाई की लाठियों से मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार जब लडाई हो रही थी तब वह पास पहुंच गया था। अ.सा. 01 ने भी अपने कथन में बताया है कि मौके पर चंद्रभान सिंह आ गया था जिसे देखकर आरोपीगण भाग गए थे। अ.सा. 03 जयराम ने अपने कथन में बताया है कि फरियादिया उसकी बेटी है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को फरियादिया परीक्षा देने गई थी और जब वह लीट रही थी तब आरोपगण ने उसके साथ मारपीट की थी और गाली

गलौच की थी। उक्त साक्षी के अनुसार लोगों ने उसे घटना के बारे में बताया था।

08— अ.सा. 05 डॉ एस पी सिद्धार्थ के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 29.03.14 को आहत कृष्णाबाई का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसकी रिपोर्ट प्रपी 05 है और जिसके अनुसार आहत को दो चोटें आई थीं। उक्त साक्षी के अनुसार आहत को सख्त एवं भौंथरी वस्तु से चोट आई थी। अ.सा. 04 मामले का विवेचक है जिसने प्रकरण में नक्शामौका प्रपी 02 तैयार करना बताया है तथा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध करना बताया है।

09— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले की फरियादिया अ.सा. 01 ने स्पष्ट रूप से अपने कथनों में बता। है कि घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा उसका रास्ता रोककर उसके साथ गाली गलौच की गई और उसके साथ मारपीट की गई। उक्त तथ्य का अनुसमर्थन अ.सा. 02 एवं अ.सा. 03 ने भी किया है। अ.सा. 02 के अनुसार उसके समक्ष घटना घटी थी। अ.सा. 01 ने अपने कथनों में बताया है कि अ.सा. 02 चंद्रभान सिंह ६ । उसा अगया था। अ.सा. 03 ने सुनी सुनाई साक्ष्य के आधार पर कथन किया है। अ.सा. 05 जो कि मेडिकल विशेषज्ञ है की साक्ष्य से अ.सा. 01 की साक्ष्य की संपुष्टि हो रही है। अभियोजन साक्षीगण की साक्ष्य न केवल अखंडनीय रही है, बल्कि उनकी साक्ष्य में ऐसा कोई विरोधाभास भी नहीं है जिसके आधार पर यह निष्कर्ष दिया जा सके कि अभियोजन द्वारा झूटा मामला प्रस्तुत किया गया है।

10— आरोपीगण की ओर से जो बचाव साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उनमें ब.सा. 01 रामराज ने अपने कथन में बताया है कि ग्राम हंसारी बस स्टेंड से लगकर उसकी खेती है तथा उसके सामने कोई घटना नहीं घटी। उक्त साक्षी के अनुसार उसे आरोपीगण द्वारा कारित किसी घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे कृष्णाबाई व महेश के किसी विवाद की जानकारी नहीं है। अपने

प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी का कहना है कि यदि आरोपीगण द्वारा कोई घटना की गई हो तो उसे जानकारी नहीं रहती। इसी प्रकार ब.सा. 02 का कहना है कि उसका बस स्टेंड पर आना जाना रहता है तथा उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त साक्षी के अनुसार उसे जानकारी नहीं है कि कृष्णाबाई की शादी किससे हुई। उक्त साक्षी के अनुसार यदि उसके खेत के आसपास कोई घटना घटती तो पुलिस उससे पूछताछ करती। इस प्रकार ब.सा. 01 एवं ब.सा. 02 ने स्वयं घटना के संबंध में कोई जानकारी न होना बताया है। ब.सा. 01 ने तो स्वयं यह कहा है कि यदि कोई घटना आरोपीगण द्वारा की जाती तो उसे कोई जानकारी नहीं रहती तथा यदि कोई बताएगा तभी जानकारी होती।

- 11— इस प्रकार ब.सा. 01 एवं ब.सा. 02 की साक्ष्य के आधार पर ऐसा कोई निष्कर्ष दे देना कि उक्त घटना दिनांक को कोई घटन नहीं घटी, समीचीन प्रतीत नहीं होता। जहां तक ब.सा. 03 की साक्ष्य का प्रश्न है तो उक्त साक्षी स्वयं आरोपी है तथा उसके द्वारा धारा 315 दप्रस के अंतर्गत कथन किया गया है। मात्र उक्त साक्षी की साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्ष दे देना कि उक्त अपराध आरोपीगण द्वारा कारित नहीं किया गया, समीचीन प्रतीत नहीं होता है। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादिया का रास्ता रोका गया तथा उसके साथ गाली गलीच की गई एवं मारपीट की गई।
- 12— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में सफल रहा है। परिणामतः आरोपीगण को भादिव की धारा 294, 341, 323 के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है।
- 13— आरोपीगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। आरोपीगण एवं उनके

अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

> (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला–अशोकनगर

#### पुनश्च:-

- 14. आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री पठान का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपीगण का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपीगण द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा एक महिला के विरुद्ध कारित किया गया है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपीगण को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।
- 15. जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपीगण को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपीगण को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि उनके द्वारा हिंसा कारित की जाती है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 294 के अपराध में 1–1 माह के साधारण कारावास एवं 500–500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपीगण तीन–तीन दिवस का

अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 341 के अपराध में 500—500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण तीन—तीन दिवस का साधारण कारावास भोगेंगे। आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध में 1—1 माह के साधारण कारावास एवं 500—500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपीगण तीन—तीन दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेंगे। उक्त दोनों दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।

- 16. आरोपीगण के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 17. प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं है।
- 18. आरोपीगण अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 19. आरोपीगण का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)